न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी - श्री सुभाष चौधरी आर.ए.एस.

अनवान -

1. चन्द्रसिंह पुत्र श्री माधोसिंह निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)

2. सुभाष चन्द पुत्र श्री देशराज निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)

.....वादीगण.....

बनाम

1. शिला देवी पत्नी बृजमोहन निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
2. मनोज कुमार पुत्र बृजमोहन निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
3. श्यामसुन्दर पुत्र श्री लेखराज निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
4. राजाराम पुत्र नौरांतामल निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
5. विद्यादेवी पत्नी काशीराम निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
6. भूपसिंह पुत्र शंकरलाल निवासी 10 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
7. करनीसिंह पुत्र लालसिंह निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
8. फुसाराम पुत्र भूराराम निवासी 10 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
9. रामकुमार पुत्र हजारीमल निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
10. नगेन्द्रसिंह पुत्र केहरसिंह निवासी 4 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
11. निर्मलसिंह पुत्र करतारसिह निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
12. कालासिंह पुत्र चानणसिंह निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
13. नरेश कुमार पुत्र श्री बलवन्तराम कुलचानिया निवासी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)
14. राजस्थान सरकार, जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

.....प्रतिवादीगण....

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

उपस्थिति - 1. श्री गुलशन सेतिया वकील वादीगण
2. श्री प्रवीण कुमार वकील प्रतिवादीगण संख्या 4
3. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 131/2010 निर्णय दिनांक - 23/5/24

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

वादीगण के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण स. 1 ता 13 के नाम से वाके चक 1 जी.बी.(ए) की जमाबन्दी सम्वत् 2063-66 का खाता सं. 94 का मु.न. 36 प.न. 122/373 का कि.न. 11/2 का 0.101 है., एंव मु.न.39 प.न. 125/373 का किला नं. 16/2, 17/1, 18/2, 23/2, 24, 25 का 0.899 है. व मु.न. 45 प.न. 125/374 का कि.न. 3, 4, 5/1, 6, 7, 14, 15, 16, 17/1, 18/2, 19/1 का 2.504 है. इस प्रकार कुल 3.504 है. भूमि नहरी खातेदारी संयुक्त खाता में पृथ्क पृथ्क हिस्साअनुसार दर्ज है जमाबन्दी सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि में हम वादीगण की 0.101 है. भूमि बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज रिकार्ड है शेष भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 13 के नाम से है। इस प्रकार वादीगण एंव प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि में सहखातेदार काश्तकार है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा आपसी रजांमदी से काफी अर्सा पूर्व ही हो चुका है जिसमें वादीगण को निम्न रकबा बंटवारा में प्राप्त हुआ है - चक 1 जी.बी.(ए) तहसील श्रीविजयनगर की मु.न. 36 प.न. 122/373 का किला नं. 11/2 का 0.101है. भूमि नहरी खातेदारी एंव अन्य रकबा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 13 के बंटवारा में आकर कब्जा में है। हम वादीगण बाहमी बटवारा की पालना में काफी अर्सा से ही उक्त बंटवारा में प्राप्त रकबा पर अपने अपने हिस्सा अनुसार काबिज चले आ रहे है एव हम वादीगण द्वारा अपने रकबा पर अथाह परिश्रम एंव धन खर्च रकबा को विकसित किया है जिसे देखकर प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया है व वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बंटवारा की पालना में उक्त रकबा को वादीगण के नाम से रिकॉर्ड सरकार में दर्ज करवाने से इन्कार कर रहे है। वादीगण द्वारा अनेक बार प्रतिवादीगण से मिलकर उक्त बाहिमी बंटवारा की पालना में कब्जा एंव हिस्सा अनुसार विभाजन का इन्द्राज रिकॉर्ड सरकार व अन्य रिकॉर्ड में करवाने के लिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर प्रतिवादी सं. 14 के न्यायालय में चलकर ब्यान देने के लिए कहा तो प्रारम्भ में प्रतिवादीगण आश्वासन देते रहे व टाल मटौल करते रहे कि अपने वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी बंटवारा हो चुका है एंव काफी अर्सा से उसी अनुसार काबिज भी चले आ रहे है रिकॉर्ड में भी समय मिलने पर दो चार रोज में दर्ज करवा लेगे किन्तु बार बार आश्वासन देकर टाल मटोल करते आ रहे है जब वादीगण ने दबाव देकर गाँव के कुछ मौतबीरान व्यक्तियों के सामने उक्त बंटवारा बाबत प्रतिवादीगण

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

को दिनांक 25.05.2010 को कहा तो प्रतिवादीगण बाहमी बंटवाराअनुसार रिकॉर्ड में इसका अमल दरामद करवाने से इन्कार हो गये बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। वादीगण को संयुक्त खाता की भूमि का किलावाईज बंटवारा होकर रिकार्ड में अमल-दरामद नहीं होने से भूमि का लगान माली, नहरी अदा करने में व ऋण आदि प्राप्त करने व अन्य कार्यों में अनेक समस्याए पैदा होती है। वादीगण विवादित भूमि में सहखातेदार काश्तकार है इसलिए वादीगण उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा में प्राप्त किलावाईज कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने के विधिक अधिकारी है। जमाबन्दी में अरविन्द कुमार दीक्षित का नाम भी दर्ज है जो कि अरविन्द कुमार दीक्षित के नाम से दर्ज रकबा को हम वादीगण द्वारा खरीद कर लेने के कारण से हम वादीगण के नाम से उक्त भूमि दर्ज हो चुकी है व अब अरविन्द कुमार का इसमे कोई हक वा हिस्सा नहीं रहा है इसलिए अरविन्द कुमार दीक्षित को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादी स. 14 राजस्थान सरकार भू धारक होने के कारण से आवश्यक पक्षकार है इसलिए प्रतिवादी सं. 7 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। आदि का वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि वादीगण को विवादित भूमि चक 1 जी.बी.(ए) तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 36 प.न. 122/373 का किला नं. 11/2 का 0.101 है. भूमि नहरी खातेदारी के खातेदार टेनेन्ट घोषित करते हुए उक्त बंटवारा का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जा की भूमि में किसी प्रकार दखल अंदाजी स्वंय या अपने किसी हित प्रतिनिधि या अन्य के माध्यम से करने से बाज एंव ममनू रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 13 बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आये ना ही अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया। जिसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र में अंकित कथनों से आंशिक सहमति प्रकट करते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा अपने रकबा पर जो परिश्रम व धन खर्च किया है। जिस पर परिवादी संख्या 4 का कोई भी लालच नहीं आया है। क्योकि प्रतिवादी संख्या 4 अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी द्वारा भूमि के पूर्व मालिक प्रतिवादी संख्या 3 श्यामसुन्दर से चक 1 जी.बी. (ए) का खाता संख्या 63/32 मु.नं. 36, 39, 45 के 3.504, है. में 20 हिस्सा यानि 0.253 है. मु.नं. 39 पं.नं. 125/373 के किला नं. 25 में 0.152 है. वा किला नं. 24 में 0.101 है. कुल 0.253 है. रकबा में से 0.030 है. कमाण्ड कृषि भूमि किला नं. 24 में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 21/05/2003 को खरीद किया था। जबकि प्रतिवादी अपने हिस्सा पर काबिज है तो उक्त भूमि का रिकार्ड में अमल दरामद कराने टाल मटोल करने व इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं होता। प्रतिवादी संख्या 4 राजाराम पुत्र नराता राम निवासी जैतसर की जाति अग्रवाल है व पिता का नाम नराता राम है। जो कि वादी द्वारा जानबूझकर गलत बताई गई है। प्रतिवादी संख्या 3 श्याम सुन्दर के रजिस्टर्ड बैयनामा के अनुसार उक्त भूमि के आगे मु.नं. 39 के किला नं. 25 में 20×165 फुट रास्ते हेतु प्रतिवादी संख्या 4 हकदार है। जिसमे विक्रेता

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 3 श्यामसुन्दर द्वारा क्रेता प्रतिवादी संख्या 4 को बैयनामा मे लिखित सहमति दी हुई है। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कराने का प्रतिवादी संख्या 4 विधिक अधिकारी है। आदि कथन करते हुए निवेदन किया कि वादीगण का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 4 के जवाब दावा पत्र के अनुसार डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 4 को कोई एतराज व आपति नही है। प्रतिवादी संख्या 14 पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में अपने अपने साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा अपना जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर वादीगण के चाहे गये अनुतोष से कोई एतराज प्रकट नहीं किया एवं अपने पक्ष में हुए रजिस्टर्ड बैयनामा की प्रति प्रस्तुत कर अपने खरीद शुदा रकबा का विभाजन कर बैयनामा में वर्णित अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से अंकन करने का निवेदन किया। जबकि अन्य सह-काश्तकार खातेदारान असालतन-वकालतन उपस्थित नहीं हुए। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का विवाधक बिन्दू नहीं होने के कारण इसलिए तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 4 द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को चक 1 जी.बी.(ए) तहसील श्रीविजयनगर का मु. न. 36 प.न. 122/373 का किला नं. 11/2 का 0.101 है. भूमि नहरी खातेदारी का बहिस्सा बराबर बराबर का एवं प्रतिवादी संख्या 4 को चक 1 जी.बी. (ए) का खाता संख्या 63/32 मु.नं. 39 पं.नं. 125/373 के किला नं. 24 में से 0.030 है. (उतर पश्चिम पासा) कमाण्ड कृषि भूमि खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्णय की प्रति भेजकर आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार भूमि विभाजन राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे तथा पक्षकारान को विभाजन अनुसार कब्जा सुपुर्द करे। इसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner